

खाद्य सुरक्षा अपील आवेदन-पत्र

(दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में निरस्तनीय होगा)

शेता में

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
सूरतगढ़
जिला श्रीगंगानगर

फोटो

प्रथम अपील :- खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत समाविष्ट करने हेतु अपील प्रस्तुत करने बाबत।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अपीलार्थी निम्न अपील प्रस्तुत करता है :-

1. अपीलार्थीपुत्र/पुत्री/श्रीमती/श्री.....जाति.....उम्र.....
निवासी-वार्ड संख्या.....नगर पालिका सूरतगढ़ का स्थाई निवासी है।
2. मुखिया व पुरे परिवार का विवरण :

क्र.सं.	नाम	माता का नाम	पिता का नाम	मुखिया के साथ संबंध	लिंग	जन्म दिनांक	राशन कार्ड संख्या	यूनिक आई.डी. नं.	भामाशाह कार्ड नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				स्वयं					
2									
3									
4									
5									

3. राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में शहरी क्षेत्र में समावेशन हेतु समावेशन के पात्रता संबंधी मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं, जो निम्न प्रकार है :-

समावेशन (Inclusion) की प्राथमिकता श्रेणी

- 1 अन्त्योदय परिवार
- 2 बीपीएल परिवार
- 3 स्टेट बीपीएल परिवार
- 4 अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
- 5 ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं हैं तथा निम्न योजनाओं/वर्गों में शामिल हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा :-

- A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना
- B. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना
- D. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना
- F. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
- G. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना
- H. सहरिया एवं कथौड़ी जनजाति योजना
- I. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर
- J. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त Exclusion (पात्र नहीं) शर्तों में न आते हो।

- 6 मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित परिवार
- 7 समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलातु विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल)
- 8 एकल महिलाएं
- 9 श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
- 10 पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम
- 11 कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वोक्षित परिवार
- 12 कचरा बीनने वाले परिवार
- 13 शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएं
- 14 गैर सरकारी सफाई कर्मी
- 15 स्ट्रीट वेण्डर
- 16 उत्तराखण्ड ट्रांसदी वाले परिवार

20 घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वनबागरिया, गाडियालुहार, भेड पालक

21 वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी परिवार

22 लघु कृषक

23 आस्था कार्डधारी परिवार

24 अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति

4. अपीलार्थी उपरोक्त समावेशन प्राथमिकता श्रेणियोंमें अभिलिखित उपवर्ग.....की श्रेणी का व्यक्ति है, जिसके साक्ष्य के रूप में दस्तावेज..... संलग्न है।

5. राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निर्धारित निष्कासन (माबसनेपवद) श्रेणी (पात्र नहीं) में वर्णित निम्नलिखित छः अपात्रताओं में से कोई अपात्रताओं में से कोई अपात्रता अपीलार्थी में नहीं है -

- ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो।
- ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्ताशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/अधिकारी हो अथवा एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है।
- ऐसे परिवार जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चारपहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)।
- नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोड़कर)
- नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोड़कर)।
- एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक आय सीमा वाले परिवार।
- ऐसा परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो।

नोट :- निष्कासन के नियम सभी श्रेणियों पर समान रूप से लागू होंगे।

6. अतः अपील स्वीकार कर अपीलार्थी के पद्वार, जिसका राशन कार्ड संख्या..... है को वार्ड संख्यानगर पालिका सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ में खाद्य सुरक्षा योजना की समावेशन सूची में सम्मिलित किये जाने के लिए समावेशन प्राथमिकता श्रेणी का..... आदेश जारी करावें। (समावेशन श्रेणी का नाम लिखें)

नोट :- आवेदन पत्र के साथ यदि आपने अपनी समावेशन श्रेणी का कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं किया है तो आवेदन पत्र निरस्त नहीं किया जाकर आवेदक को बकाया दस्तावेज संबंधित विभाग में जमा कराने के लिए अधिकतम 15 दिवस का समय और दिया जावेगा।

संलग्न दस्तावेजों की सूची :-

- 1 राशन कार्ड
- 2 भामाशाह कार्ड
- 3 सभी सदस्यों के आधार कार्ड
- 4 अभिलिखित उपवर्ग श्रेणी का साक्ष्य प्रमाण पत्र

हस्ताक्षर अपीलार्थी

नाम-

पिता का नाम-

माता का नाम-

मोबाईल नम्बर-

पता-

शपथ-पत्र/स्वघोषणा

मैं.....पुत्र/पत्नी श्री.....

निवासी वार्ड नं.....नगरपालिका सूरतगढ़.....

यह घोषणा करता/करती हूँ कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 20.07.2017 के बिन्दू संख्या 5 में अंकित निष्कासन की 6 श्रेणियों में मैं/मेरा परिवार शामिल नहीं है। यदि मैं/मेरा परिवार जांच में निष्कासन की श्रेणियों में शामिल होना पाया जाता है तो मेरे/हमारे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

(अस्ताक्षर अपीलार्थी)

दिनांक :

स्थान :

आय का घोषणा पत्र

1. आवेदक सम्बन्धी आवश्यक सूचना(वैकल्पिक बिन्दु को से चयन करें)
2. प्रार्थी का नाम: -
3. पिता का नाम: -
3. निवास स्थान का पूर्ण पता: -
(क) वर्तमान पता: -
(ख) स्थाई पता: -
4. गाँव / शहर: - तहसील: - जिला: -
5. जन्म दिनांक: -/...../..... जन्म स्थान: - उम्र: -
6. लिंग: - पुरुष / महिला वैवाहिक स्थित: - विवाहित / अविवाहित
7. धर्म (आवेदक): - जाति: - उपजाति: -
8. क्या आप / आपका परिवार राजस्थान का मूल निवासी है? हाँ नहीं
9. क्या आप आयकर दाता है ? हाँ / नहीं
10. मोबाइल नम्बर: -
11. पेन कार्ड होने की दशा में पेन नम्बर.....एवं आयकर विभाग की रिटर्न की अद्यतन प्रति संलग्न करें।
12. टिन नम्बर होने की दशा में टिन नम्बरएवं वाणिज्यिक कर विभाग की रिटर्न की अद्यतन प्रति संलग्न करें।
13. परिवार के सदस्य व उनकी आय का विवरण

क्र.सं.	सदस्य का नाम	उम्र	सम्बन्ध मुखिया से	आय/व्यवसाय व उसकी प्रकृति	वर्षिक आय

अन्य स्रोत से आय(यथा मकान किराया , ब्याज , पेंशन , शेयर, म्यूचुअल फण्ड)

14. उक्त तथ्यों के सत्यापन स्वरूप दो उत्तरदायी व्यक्तियों की साक्ष्य प्रमाण पत्र एवं स्वयं का शपथ-पत्र संलग्न है।

मैं तसदीक करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं।

दिनांक:/.....

स्थान:/.....

प्रार्थी के हस्ताक्षर

शपथ पत्र

परिशिष्ट-जे

प्रार्थी का फोटो

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....उम्र.....निवासी.....
तहसील.....जिला.....राजस्थान शपथ पूर्वक निम्न बयान करता/करती हूँ:-

1. यह कि मुझे व मेरे परिवार की वार्षिक आय (वर्ष) के प्रणाम स्वरूप में उद्घोषणा करनी है।

2. यह कि मेरे व मेरे परिवार की वार्षिक आय (वर्ष...) के संबध मे तथ्यात्मक जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रं सं	परिवार के सदस्य का नाम	व्यवसाय	प्रार्थी से सम्बन्ध	वार्षिक आय(रुपये)
	योग			

3. यह कि मेरे परिवार के सदस्यो द्वारा धारित भूमि/व नेशनल शेयर के धारित कुल भूमि का विवरण इस प्रकार है:-

गंव का नाम	तहसील	खसरा नम्बर	रकबा	संचित/असंचित	वार्षिक आय(रु)

4. यह कि मेरे परिवार मे अन्य स्रोतों से आय प्रकार है:-

क्रं. सं.	आय के अन्य स्रोत (यथा भवन सम्पत्ति किराया, ब्याज, पेशन, शेयर, म्यूचुअल फण्ड आदि से आय)	वार्षिक आय (रुपये)
	कुल समस्त वार्षिक आय	चरण (पैरा) सं. 2,3,4, का योग

5. यह है कि शपथ पूर्वक घोषित करता /करती हूँ कि उपरोक्तानुसार मेरे परिवार की कुल समस्त वार्षिक आय रुपये अक्षरे रुपये है।

6. मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि मेरे व मेरे परिवार के किसी सदस्य ने विगत में उक्त अंकित वार्षिक आय से भिन्न आय किसी प्रयोजनार्थ नहीं दर्शायी है तथा न ही इस बाबत कोई आय प्रमाण -पत्र प्राप्त किया है।

शपथ पूर्वक कथन करता / करती हूं कि यह तथ्य मेरी जानकारी में है। कि इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथ पूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता / करती हूं हक उपरोक्त शपथ पत्र की चरण संख्या 1 से 7 मेरी निजी जानकारी से लिखाया गया है जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

हस्ताक्षर पहचानकर्ता

1.....

2.....

(नाम, पता, स्थान व दिनांक सहित)

प्रमाणीकरण

उपरोक्त शपथकर्ता नाम पिता का नाम जाति
उम्र निवासी वार्ड नं सूरतगढ़ ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक
उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत किया जाता है। प्रार्थी की पहचान के
द्वारा की गई है।

हस्ताक्षर

स्थान

दिनांक

प्रमाणीकरण अधिकारी (कार्यपालक मजिस्ट्रेट / नोटरी पब्लिक)

का नाम व पद मय सील

उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण-पत्र

(i) गवाह*

मैं पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

विभाग का नाम पद

पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि

प्रार्थी/प्रार्थीया पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

को भली प्रकार से जानता हूँ इनकी वार्षिक आय रुपये है, इसके अलावा प्रार्थी के पास आय को कोई अन्य स्रोत नहीं है।

(हस्ताक्षर/उत्तरदायी गवाह)

नाम दिनांक स्थान

(ii) गवाह*

मैं पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

विभाग का नाम पद

पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि

प्रार्थी/प्रार्थीया पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

को भली प्रकार से जानता हूँ इनकी वार्षिक आय रुपये है, इसके अलावा प्रार्थी के पास आय को कोई अन्य स्रोत नहीं है।

(हस्ताक्षर/उत्तरदायी गवाह)

नाम दिनांक स्थान

नोट :- आवेदक की नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर चिपकाएँ (स्टेपल नहीं करना है) तथा उसे अभिलेखा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करायें। उत्तरदायी व्यक्ति यथा - संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/राजपत्रित अधिकारी/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/ग्राम सेवक/पटवारी/ महापौर/नगर निगम सदस्य/नगरपालिका अध्यक्ष/ स्कूल के हेड मास्टर/सम्बन्धित पी.एच.सी./सी.एच.सी. के चिकित्सक/ बी.डी.ओ./सहायक अभियन्ता